

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (503-V)एनआरएचएम/एचआरडी/2016/884 दिनांक : 01/09/2016

—: आदेश :—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निदेशालय एनएचएम जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 277/295 दिनांक 14.03.2016/16.03.2016 के क्रम में **Dakshata Mentor** (दक्षता मेन्टर) के संविदा पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अन्तिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर, उक्त पद की प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध वर्गवार उल्लेखित संविदा कार्मिकों को प्रतीक्षा सूची की वरीयता अनुसार निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पदस्थापन स्थानों पर रु 30,000/- प्रतिमाह समेकित मानदेय दर पर नियुक्त किया जाकर एतद् द्वारा पदस्थापित किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	पदस्थापन स्थान
1	डॉ. आयुष शर्मा	सुर्य नारायण शर्मा	जिला धौलपुर
2	डॉ. भावना पाण्डेय	मणी लाल पाण्डेय	जिला करौली

उक्त समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक से दिनांक 05.09.2016 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।


समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिक अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से दिनांक 06.09.2016 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. [co\\_hrd.nrhm@yahoo.com](mailto:co_hrd.nrhm@yahoo.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई कार्मिक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वाइन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।

उक्त समस्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं रु 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे। आदेश के साथ निर्धारित अनुबंध का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं चरित्र प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के लिये अनुबंध अवधि कार्यग्रहण तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक के लिये होगी जो कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंधित संविदा कार्मिकों को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नहीं होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है उपरोक्त नव नियुक्त संविदा कार्मिकों के मूल दस्तावेजों की जाँच कर नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

  
(अंजू राजपाल)  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि0 स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, जिला धौलपुर/करौली, राजस्थान।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, एनएचएम, जयपुर।
7. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निदेशक-आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, एमएच/सीएच/इम्यूनाईजेशन/एफडब्ल्यू, एनएचएम, जयपुर।
12. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
13. समस्त नोडल अधिकारी/समस्त सलाहकार, एनएचएम, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धौलपुर/करौली को भेजकर लेख है कि अपने संबंधित कार्मिक को कार्यग्रहण करवाकर पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये।
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जिला धौलपुर/करौली।
17. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला धौलपुर/करौली।
18. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम, जिला धौलपुर/करौली।
19. सम्बन्धित संविदा कार्मिक को पालनार्थ।
20. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई मेल करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।

  
परियोजना निदेशक  
एनएचएम